

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, फरीदाबाद  
आदेश क्रमांक जी-III/2004/ 1863-1864

दिनांक 13/10/04

हरियाणा सरकार के अपने नोटिफिकेशन क्रमांक संख्या 7/एवए 12/99 एस 24 (1) 2003 दिनांक 30.04.2003 के द्वारा जारी हरियाणा स्कूल नियम 2003 में संशोधित पत्रांक 22/हरि0 एक्ट 12/1999 धारा 24/2004 दिनांक 20.02.2004 हरियाणा विद्यालय शिक्षा अधिनियम 1995 (हरि0 एक्ट 12/1999) के अधिनियम (2) की धारा 24 की उपधारा (2) के अन्तर्गत <sup>Surajkund International School, Dayal Bagh, Faridabad</sup> स्कूल खोलने की अनुमति निम्न शर्तों पर प्रदान की जाती है।

1. स्कूल खोलने की प्रदान की गई अनुमति मान्यता नहीं मानी जाएगी।
2. हरियाणा स्कूल शिक्षा नियमावली 2003 के अन्तर्गत वर्ष 2004-2005 के लिए मान्यता प्राप्त करनी होगी।
3. नियम 30 की के अन्तर्गत गृहि एव गवन कब नाम पूर्ण करना होगा।
4. नियम 30 (2) के अन्तर्गत प्लेजमनी की राशि जिला शिक्षा अधिकारी के नाम राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा करानी होगी। जिसमें गारंटी शब्द अंकित होगा।
5. संशोधित नियम 22/हरि0 एक्ट 12/1999 धारा 24/2004 के अन्तर्गत गठित कमेटी द्वारा निरीक्षण उपरान्त ही मान्यता प्रदान की जायेगी।
6. नियम 29 उपनियम (3) के अन्तर्गत मान्यता हेतु सक्षम अधिकारी के कार्यालय फाईल जमा करानी होगी।
7. विभाग/सरकारी द्वारा जारी हरियाणा स्कूल शिक्षा नियम 2003 के अन्तर्गत सभी हिदायतों/शर्तों की पालना करनी होगी।

8. बच्चा पढ़ती से आवेगी तब

*Sd/-*  
आर० सी० दहिया  
(जिला शिक्षा अधिकारी)  
फरीदाबाद।

पत्र क्रमांक संख्या 1863

उपरोक्त एक प्रति निम्न को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पेशित है।

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5 ✓ Sh. N. K. Aggarwal, Surajkund School  
Dayal Bagh, Chabowal Road Village  
Faridabad  
Secy Board of School, Bhiwani

*Maha*  
(जिला शिक्षा अधिकारी)  
फरीदाबाद।

13/10/04  
Distt. Education Officer  
Faridabad

PRINCIPAL  
Surajkund International School  
Dayalbagh, Faridabad  
04/10/04